न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:–राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 67/2019

1. नर सिंह पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. रामचन्द्र पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधिनियम अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थिति:–

1. श्री सन्त कुमार बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय
3. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक:–06.11.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को अपनी जोत कृषि भूमि चक 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 29 मु.नं. 18 प.नं. 199/334 व मु.नं. 24 प.नं. 200/335 में कुल 2.403है नहरी मय खाला में 1/8 भाग की खातेदारी भूमि को काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने वा फसल लाने हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की भूमि वाके चक 35 एनपी का खाता सं. 54 में दर्ज मु.नं. 18 प.नं. 199/334 के कि.न. 15 में 1 बिस्वा पूर्वी पासा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए रजि.एडी नाटिस तलब किया गया। रजि. नाटिस अदम तामील प्राप्त हुए जिस पर अंकित रिपोर्ट का अवलोकरन किया। डाक लेने से इंकार करने के कारण अप्रार्थी सं. 1–2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जाँच रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक सतजण्डा की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 3 के अनुसार प्रार्थी के उक्त मु.नं. 18 प.नं. 199/334 की मुस्तरका खाता की भूमि में जाने के लिए इसी मु.नं. 18 प.नं. 199/334 के कि.नं. 5–6 में स्वीकृतशुदा रास्ता से मु.नं. 18 प.नं. 199/334 के कि.नं. 15 से सबसे नजदीकी रास्ता लगता हैं। जो कि प्रार्थी मु.नं. 18 प.नं. 199/334 में कि.नं. 15 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। अन्य रास्ता नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी को अपनी भूमि में आवांगमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने के कारण चक 35 एनपी का खाता सं. 54 में दर्ज मु.नं. 18 प.नं. 199/334 के कि.न. 15 में 1 बिस्वा पूर्वी पासा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के बिन्दु सं. 3 अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागम हेतु अन्य मार्ग नहीं हैं। अप्रार्थीगण के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। तथा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार को कोई एतराज आदि प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1) रा.का.अ. का स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 35 एनपी के मु.नं. 18 प.नं. 199/334 के कि.न. 15 में 1 बिस्वा पूर्वी पासा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के मुआवजे के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी. राशि की दो गुणा राशि देगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार राशि का भुगतान करें। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: